



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज—पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
*Extraordinary*

साधिकार प्रकाशित

*Published by Authority*

वैशाख 26, बुधवार, शाके 1934—मई 16, 2012  
*Vaisakha 26, Wednesday, Saka 1934—May 16, 2012*

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 16, 2012

संख्या प. 2 (34) विधि/2/2012.—राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 मई, 2012 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

**राजस्थान वित्त अधिनियम, 2012**

**(2012 का अधिनियम संख्याक 18)**

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 मई, 2012 को प्राप्त हुई)

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 और राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 को और संशोधित करने और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**अध्याय 1**

**प्रारम्भिक**

1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2012 है।

**2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.-** राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 13 और 14 के उपबंध उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

## अध्याय 2

### राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

**3. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 22 का संशोधन.-** राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

**"22. कर निक्षिप्त करने में अथवा विवरणी या लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने पर निर्धारण.-** (1) जहां कोई व्यवहारी अधिसूचित कालावधि के भीतर-भीतर धारा 20 के उपबंधों के अनुसार कर निक्षिप्त करने में विफल रहा है, या विहित कालावधि के भीतर-भीतर धारा 21 के उपबंधों के अनुसार विवरणी प्रस्तुत करने में या धारा 73 के उपबंधों के अनुसार कोई लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहा है, वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, इस अधिनियम में के शास्तिक उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे और व्यवहारी को सुने जाने का कोई युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उस कालावधि के लिए अपने सर्वोत्तम विवेक से कर निर्धारित करेगा।

(2) उप-धारा (1) में निर्धारित कर, आगत कर मुजरे और इस निमित्त अग्रिम रूप से निक्षिप्त की गयी रकम, यदि कोई हो, के समायोजन के पश्चात्, व्यवहारी द्वारा, मांग के नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर संदेय होगा। तथापि, निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी, लिखित में कारण अभिलिखित करने के पश्चात्, ऐसी कालावधि को कम कर सकेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन निक्षिप्त कर सुसंगत कालावधि के लिए निर्धारण में समायोजित किया जायेगा।

(4) इस धारा के अधीन कोई आदेश, ऐसी कालावधि, जिसके लिए कर निक्षिप्त नहीं किया गया है, की समाप्ति या, यथास्थिति, ऐसी विवरणी या लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जो प्रस्तुत नहीं की गयी हो, को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से नौ मास की समाप्ति के पश्चात्, पारित नहीं किया जायेगा।"

**4. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 24 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 24 की विद्यमान उप-धाराएं (4) और (4क) हटायी जायेंगी।

**5. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 38 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 38 की विद्यमान उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(4) जहां किसी व्यवहारी या किसी व्यक्ति ने किसी निर्धारण प्राधिकारी या किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी को कोई अपील फाइल की हो, वहां उक्त अपील प्राधिकारी, ऐसी अपील को रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् और अपीलार्थी और निर्धारण प्राधिकारी या अधिकारी या उसके किसी प्रतिनिधि की सुनवाई करने के पश्चात् कर या मांग की विवादग्रस्त रकम या उसके किसी भाग की वसूली को ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए या अपील का निपटारा किये जाने तक, जो भी पहले हो, इस शर्त के अधीन रोक सकेगा कि उक्त व्यवहारी या व्यक्ति, निर्धारण प्राधिकारी या, यथास्थिति, अधिकारी के समाधानप्रद रूप में पर्याप्त प्रतिभूति ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से प्रस्तुत कर दे, जो विहित की जाये:

परन्तु जहां रोक के लिए किसी आवेदन को उसके फाइल किये जाने से तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर नहीं

निपटारा जाता और देरी आवेदक के कारण नहीं हुई हो तो उसे इस शर्त के अधीन स्वीकार किया हुआ समझा जायेगा कि ऐसा व्यवहारी या व्यक्ति, निर्धारण प्राधिकारी या, यथास्थिति, अधिकारी के समाधानप्रद रूप में पर्याप्त प्रतिभूति ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से प्रस्तुत कर दे, जो विहित की जाये:

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम, निगम या कम्पनी द्वारा इस धारा के अधीन कोई भी प्रतिभूति दी जानी अपेक्षित नहीं होगी।"

**6. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 63 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 63 की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न रैंक का कोई अधिकारी, जिसे आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया जाये, उप-धारा (1) के अधीन कर वसूल करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त होगा।"

### अध्याय 3

**राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 में संशोधन**

**7. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 16 का संशोधन.-** राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 16 की विद्यमान उप-धारा (2) हटायी जायेगी।

**8. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 17 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 17 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) किसी रजिस्ट्रीकृत होटलवाले द्वारा दी गयी प्रत्येक विवरणी, इसकी शुद्धता सत्यापित करने के लिए,

ऐसी संवीक्षा के अध्यक्षीन होगी, जो आयुक्त द्वारा अवधारित की जाये, और यदि वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी विहित समय के भीतर-भीतर फाइल कर दी जाती है, और-

- (i) कोई भी गलती नहीं पायी जाती है तो ऐसी विवरणी के आधार पर वह होटलवाला उस वर्ष के लिए निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा;
- (ii) कोई गलती पायी जाती है तो विलास-कर अधिकारी, गलतियों की परिशुद्धि करने और ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, पुनरीक्षित विवरणी फाइल करने के लिए विहित प्ररूप में होटलवाले को एक नोटिस देगा और यदि होटलवाला नोटिस के निबंधनों के अनुसार पुनरीक्षित विवरणी देता है और कर, यदि कोई हो, निक्षिप्त कर देता है तो वह ऐसी पुनरीक्षित विवरणी के आधार पर उस वर्ष के लिए निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा।";
- (ii) विद्यमान उप-धारा (3) हटायी जायेगी;
- (iii) उप-धारा (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-धारा (3)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-धारा (2) के खण्ड (ii)" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (iv) विद्यमान उप-धारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(5) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत होटलवाले द्वारा किसी भी वर्ष की सभी विवरणियां फाइल कर दी जायें, वहां उस वर्ष के संबंध में उप-धारा (4) के अधीन निर्धारण का कोई भी आदेश, उस वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष पश्चात् या राजस्थान वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. ...) के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर-भीतर, जो भी पश्चातवर्ती हो, नहीं किया जायेगा और यदि ऐसा आदेश किसी भी कारण से उक्त कालावधि के भीतर-भीतर न किया जाये तो इस प्रकार फाइल की गयी विवरणियां सही और पूर्ण

मान ली जायेगी और निर्धारण तदनुसार ही पूरा समझ लिया जायेगा:

परन्तु जहां इस अधिनियम के अधीन अपील में या उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किये गये किसी भी आदेश को ध्यान में रखते हुए कोई ताजा निर्धारण किया जाना हो, वहां ऐसा निर्धारण विलास-कर अधिकारी के द्वारा ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर-भीतर किया जायेगा:

परन्तु यह और कि इस उप-धारा में अधिकथित परिसीमा की किसी कालावधि की संगणना करने में वह समय अपवर्जित कर दिया जायेगा जिसके दौरान निर्धारण किसी भी सक्षम प्राधिकारी के या उच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अधीन रुका रहा:

परन्तु यह भी कि आयुक्त, राजस्व के हित में और लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, किसी भी कालावधि विशेष के लिए किसी भी विशिष्ट होटलवाले या होटलवालों के वर्ग-विशेष का निर्धारण न करने के निदेश जारी कर सकेगा और निर्धारण की कार्यवाही रोकने के ऐसे निदेश में समाविष्ट कालावधि, इस उप-धारा में अधिकथित परिसीमा-कालावधि की संगणना करने में अपवर्जित कर दी जायेगी।"; और

(v) विद्यमान उप-धारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(6) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत होटलवाला किसी भी कालावधि के संबंध में विवरणी विहित तारीख तक नहीं देता है तो विलास-कर अधिकारी उस वर्ष की, जिसमें ऐसी कालावधि पड़ती है, समाप्ति से दो वर्ष के भीतर-भीतर किसी भी समय या राजस्थान वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. ...), के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर-भीतर, जो भी पश्चातवर्ती हो, होटलवाले को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अपने सर्वोत्तम विवेक से, उससे शोध्य

कर, यदि कोई हो, की रकम निर्धारित करने की कार्यवाही करेगा।।

#### अध्याय 4

### राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 में संशोधन

9. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 12 का संशोधन.- राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 12 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा दी गयी प्रत्येक विवरणी, इसकी शुद्धता सत्यापित करने के लिए ऐसी संवीक्षा के अधीन होगी, जो आयुक्त द्वारा अवधारित की जाये और यदि कोई भी गलती पायी जाये तो निर्धारण प्राधिकारी, उस व्यवहारी को ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, गलतियों को सुधारने के लिए और पुनरीक्षित विवरणी फाइल करने के लिए विहित प्ररूप में नोटिस देगा। जहां कोई व्यवहारी इस उप-धारा के अधीन जारी किये गये नोटिस के अनुसरण में, नोटिस के निबंधनों के अनुसार पुनरीक्षित विवरणी देता है और कर, यदि कोई हो, निक्षिप्त करता है तो वह पुनरीक्षित विवरणी के आधार पर धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा।

(3क) जहां कोई व्यवहारी, उप-धारा (3) के अधीन जारी किये गये नोटिस के अनुसरण में पुनरीक्षित विवरणी फाइल नहीं करता है या व्यवहारी द्वारा फाइल की गयी विवरणी नोटिस के निबंधनों के अनुसार न हो, वहां निर्धारण प्राधिकारी, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री

के आधार पर अपने सर्वोत्तम विवेक से उस व्यवहारी का निर्धारण करेगा।";

(ii) विद्यमान उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(4) यदि व्यवहारी द्वारा विहित कालावधि के भीतर-भीतर उप-धारा (1) के अधीन कोई भी विवरणी नहीं दी जाती है या व्यवहारी, विहित समय के भीतर-भीतर धारा 17 के अनुसार कर निक्षिप्त करने में विफल रहता है तो निर्धारण प्राधिकारी अपने सर्वोत्तम विवेक से उस व्यवहारी का निर्धारण करेगा:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कार्रवाई करने से पूर्व, व्यवहारी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।"; और

(iii) उप-धारा (6) में विद्यमान अभिव्यक्ति "उस तारीख से, जिसको उस वर्ष के लिए किसी व्यवहारी द्वारा विवरणी प्रस्तुत की गयी थी, तीन वर्ष की कालावधि के पश्चात् नहीं किया जायेगा:" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सुसंगत वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष या राजस्थान वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. ...) के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर-भीतर, जो भी पश्चातवर्ती हो, नहीं किया जायेगा तथापि, आयुक्त, किसी विशिष्ट मामले में, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, ऐसी समय सीमा को छह मास से अनधिक की कालावधि तक बढ़ा सकेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**10. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 14 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

**"14. स्वनिर्धारण.-** (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जिसने विहित समय के भीतर-भीतर उस वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल कर दी है, धारा 12 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, फाइल की गयी वार्षिक विवरणी के आधार पर उस वर्ष के लिए निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा।



(2) उप-धारा (1) के अधीन निर्धारित रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों की एक सूची इलेक्ट्रॉनिक या प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से प्रकाशित की जा सकेगी और ऐसा प्रकाशन, जहां कहीं अपेक्षित हो, ऐसे व्यवहारियों को सम्यक् सूचना समझी जायेगी।"

**11. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 16 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 16 हटायी जायेगी।

**12. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 28 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "उसके द्वारा पारित किसी भी आदेश की तारीख से पांच वर्ष के भीतर-भीतर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उसके द्वारा पारित किसी भी आदेश की तारीख से चार वर्ष या राजस्थान वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. ...) के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर-भीतर, जो भी पश्चातवर्ती हो," प्रतिस्थापित की जायेगी।

## अध्याय 5

### राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 का संशोधन

**13. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 2 का संशोधन.-** राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के खण्ड (xi) के विद्यमान उप-खण्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iv) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) की धारा 394 के अधीन और बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 44-क के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश,"।

**14. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.-** मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(i) विद्यमान अनुच्छेद 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

**"5. करार या करार का ज्ञापन-**

- (क) यदि वह विनिमय-पत्र के विक्रय से संबंधित है; दस रुपये।
- (ख) यदि वह सरकारी प्रतिभूति के विक्रय से या किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय में के शेयर के विक्रय से संबंधित है; दो सौ रुपये अधिकतम के अध्यक्ष रहते हुए, प्रतिभूति या शेयर के मूल्य के प्रत्येक दस हजार रुपये या उसके भाग के लिए दस रुपये।
- (ग) यदि वह स्थावर संपत्ति के क्रय या विक्रय से संबंधित है, जब कब्जा न तो दिया गया हो और न ही देने का करार किया गया हो; करार या करार के ज्ञापन में यथा-उपवर्णित संपत्ति के कुल प्रतिफल का तीन प्रतिशत:  
परन्तु ऐसे करार पर संदत्त स्टाम्प शुल्क ऐसे करार के अनुसरण में हस्तांतरण-पत्र के निष्पादन के समय हस्तांतरण-पत्र पर प्रभार्य शुल्क की कुल रकम के प्रति बाद में समायोजित किया जायेगा, यदि ऐसा हस्तांतरण-विलेख करार की तारीख से तीन वर्ष के भीतर-भीतर निष्पादित किया जाये।
- (घ) यदि वह किसी बैंक या वित्तीय कम्पनी द्वारा दिये गये किसी उधार या ऋण के प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने से संबंधित है; उधार या ऋण की रकम का 0.1 प्रतिशत।
- (ङ) यदि वह किसी स्थावर वही शुल्क जो संपत्ति के

संपत्ति पर संनिर्माण या उसके विकास या उसके विक्रय या अन्तरण (जिस किसी भी रीति से हो) के लिए किसी संप्रवर्तक या विकासकर्ता को, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाये, प्राधिकार या शक्ति, देने से संबंधित है;

बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है:

परन्तु यह कि धारा 51 के उपबंध ऐसे करार या करार के ज्ञापन पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे लागू होंगे जैसे वे उस धारा के अधीन किसी लिखत पर लागू होते हैं:

परन्तु यह और कि यदि उन्हीं पक्षकारों के बीच उसी संपत्ति के संबंध में मुख्तारनामे पर अनुच्छेद 44 के खण्ड (डडड) के अधीन उचित स्टाम्प शुल्क संदत्त कर दिया गया है तो इस अनुच्छेद के अधीन स्टाम्प शुल्क एक सौ रुपये होगा।

(च) यदि, निर्माण, प्रचालन और अन्तरण (बीओटी) प्रणाली के अधीन परियोजना, चाहे पथकर या शुल्क संग्रहण अधिकारों सहित है या उसके बिना है, से संबंधित है;

न्यूनतम एक सौ रुपये के अध्यधीन, संविदा में करार पायी रकम का 0.2 प्रतिशत।

(छ) यदि उसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है;

एक सौ रुपये।

**छूट :**

करार या करार का ज्ञापन,-  
जो अनन्यतः माल या  
वाणिज्या के विक्रय के लिए  
है या उससे संबंधित है और  
सं. 40 के अधीन प्रभार्य  
नोट या ज्ञापन नहीं है;  
जो सरकार को किन्हीं ऐसी  
निविदाओं के रूप में किये  
गये हैं जो किसी उधार के  
लिए या उससे संबंधित हैं।";

- (ii) अनुच्छेद 21 के खण्ड (iii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "यदि कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 1) की धारा 394 के अधीन आदेश से संबंधित हो", के स्थान पर अभिव्यक्ति "यदि कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) की धारा 394 या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 44-क के अधीन किये गये आदेश से संबंधित हो" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (iii) अनुच्छेद 21 के स्पष्टीकरण (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे आमेलन के लिये संदत्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसे आमेलन या, यथास्थिति, पुनर्गठन के लिए संदत्त" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (iv) विद्यमान अनुच्छेद 43 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

#### "43. भागीदारी.-

(1) भागीदारी की लिखत,-

- (क) जहां भागीदारी में कोई पांच सौ रुपये।  
शेयर अंशदान नहीं है या  
जहां नकद के रूप में  
किया गया ऐसा शेयर

अंशदान पचास हजार  
रुपये से अनधिक है;

(ख) जहां नकद के रूप में पांच हजार रुपये के  
किया गया ऐसा शेयर अधिकतम शुल्क के  
अंशदान पचास हजार अध्यक्षीन, पांच सौ  
रुपये से अधिक है, रुपये।  
प्रत्येक पचास हजार रुपये  
या उसके भाग के लिए;

(ग) जहां, ऐसा शेयर अंशदान वही शुल्क जो ऐसी  
स्थावर संपत्ति के रूप में संपत्ति के बाजार मूल्य  
किया गया है। पर हस्तांतरण-पत्र (सं.  
21) पर लगता है।

(2) भागीदारी का विघटन या  
भागीदार का निवर्तन,-

(क) जहां भागीदारी के एक सौ रुपये न्यूनतम  
विघटन पर या भागीदार के अध्यक्षीन वही शुल्क  
के निवर्तन पर कोई जो ऐसी सम्पत्ति के  
संपत्ति उस भागीदार, बाजार मूल्य पर  
जो उस संपत्ति को हस्तांतरण-पत्र (सं. 21)  
भागीदारी में उसके पर लगता है।  
अंशदान के शेयर के रूप  
में लाया था, से भिन्न  
किसी अन्य भागीदार  
द्वारा उसके शेयर के  
रूप में रख ली जाती है;

(ख) किसी अन्य मामले में। पांच सौ रुपये।";

(v) अनुच्छेद 44 के विद्यमान खण्ड (डड) के पश्चात् और  
खण्ड (च) के पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा,  
अर्थात्:-

"(डडड) जब कोई स्थावर वही शुल्क जो सम्पत्ति के

सम्पत्ति उस पर सन्निर्माण या उसके विकास या उसके विक्रय या अंतरण (जिस किसी भी रीति से हो) के लिए संप्रवर्तक या विकासकर्ता को, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाये, दी जाये।

बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है:

परन्तु धारा 51 के उपबंध मुख्तारनामे की ऐसी लिखत पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित, ऐसे लागू होंगे जैसे वे उस धारा के अधीन हस्तांतरण-पत्र पर लागू होते हैं:

परन्तु यह और कि जब उन्हीं पक्षकारों के बीच और उसी सम्पत्ति के संबंध में किसी करार या करार के ज्ञापन पर अनुच्छेद 5 के खण्ड (ड) के अधीन उचित स्टाम्प शुल्क संदत्त किया जाये तो इस खण्ड के अधीन प्रभार्य शुल्क एक सौ रुपये होगा।";

(vi) विद्यमान अनुच्छेद 51 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

**"51. व्यवस्थापन-**

(क) व्यवस्थापन की लिखत जिसके अन्तर्गत महर विलेख है,-

(i) जहां व्यवस्थापन किसी धार्मिक या पूर्त प्रयोजन के लिए किया गया है; वही शुल्क जो व्यवस्थापित रकम या व्यवस्थापित सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर राशि के बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है।

(ii) किसी अन्य मामले में,- (i) स्थावर संपत्ति के मामले में, वही शुल्क जो व्यवस्थापित सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर

राशि के हस्तांतरण-पत्र (सं. 21 (i)) पर लगता है; और (ii) अन्य संपत्ति या रकम के मामले में, वही शुल्क जो व्यवस्थापित रकम या व्यवस्थापित सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर राशि के बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है:

परन्तु जहां व्यवस्थापन के लिए करार व्यवस्थापन की लिखत के लिए अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित है और ऐसे करार के अनुसरण में व्यवस्थापन लिखत बाद में निष्पादित की गयी है, वहां ऐसी लिखत पर शुल्क एक सौ रुपये से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और कि जहां व्यवस्थापन की लिखत में व्यवस्थापन के प्रतिसंहरण का उपबंध अन्तर्विष्ट हो, वहां रकम या व्यवस्थापित संपत्ति का मूल्य, शुल्क के प्रयोजन के लिए ऐसे अवधारित किया जायेगा मानो लिखत में ऐसे कोई उपबंध अन्तर्विष्ट नहीं थे।

**छूट:**

मुसलमानों के बीच विवाह

के अवसर पर या उसके संबंध में, विवाह के पूर्व या उसके पश्चात्, निष्पादित किया गया महर विलेख।

(ख) व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण,-

(i) खण्ड (क) के उप- वही शुल्क जो व्यवस्थापित रकम खण्ड (i) में वर्णित या संबंधित संपत्ति के बाजार व्यवस्थापन के संबंध मूल्य, जो प्रतिसंहरण लिखत में उपवर्णित है, के बराबर राशि के बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है, किन्तु जो पचास रुपये से अधिक नहीं होगा।

(ii) खण्ड (क) के उप- (i) स्थावर संपत्ति के मामले में, वही खण्ड (ii) में वर्णित शुल्क जो संबंधित स्थावर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल के लिए हस्तांतरण-पत्र (सं. 21 (i)) पर लगता है, और

(ii) अन्य संपत्ति या रकम के मामले में, वही शुल्क जो प्रतिसंहरण लिखत में व्यवस्थापित रकम या संबंधित सम्पत्ति के बाजार मूल्य के प्रतिफल के लिए बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है,

किन्तु जो पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगा।"; और

(vii) विद्यमान अनुच्छेद 56 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"56. न्यास-

(क) की घोषणा, किसी संपत्ति की या उसके बारे में



जबकि, विल से भिन्न किसी लिखित रूप में की गयी हो,-

(क) जहां संपत्ति का व्ययन कर दिया गया है,-

(i) जहां न्यास वही शुल्क जो किसी धार्मिक व्यवस्थापित रकम या या पूर्ण प्रयोजन व्यवस्थापित संपत्ति के के लिए बनाया बाजार मूल्य के बराबर गया है; राशि के बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है।

(ii) किसी अन्य मामले में।

(i) स्थावर संपत्ति के मामले में, वही शुल्क जो व्यवस्थापित स्थावर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर राशि के हस्तांतरण-पत्र (सं. 21 (i)) पर लगता है; और

(ii) अन्य संपत्ति या रकम के मामले में, वही शुल्क जो व्यवस्थापित रकम या व्यवस्थापित सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर राशि के बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है।

(ख) जहां संपत्ति का व्ययन नहीं किया गया है।

वही शुल्क जो रकम या संबंधित सम्पत्ति के मूल्य के बराबर राशि पर बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है,

किन्तु जो साठ रुपये से अधिक नहीं होगा।

(ख) का प्रतिसंहरण, किसी संपत्ति का या उसके बारे में, जबकि वह विल से भिन्न किसी लिखत द्वारा किया गया हो।

वही शुल्क जो रकम या संबंधित सम्पत्ति के मूल्य के बराबर राशि पर बंधपत्र (सं. 14) पर लगता है, किन्तु जो पचास रुपये से अधिक नहीं होगा।

### अध्याय 6

#### राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 में संशोधन

**15. 2006 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 42 का संशोधन.-** (1) राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 4), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 42 में,-

- (i) उप-धारा (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 48 के अधीन किसी अपील के परिणामस्वरूप या, यथास्थिति, धारा 51 के अधीन किसी पुनरीक्षण के कारण" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 48 के अधीन या, यथास्थिति, धारा 51 के अधीन किसी अपील के परिणामस्वरूप" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 48 के अधीन किसी अपील के परिणामस्वरूप या, यथास्थिति, धारा 51 के अधीन किसी पुनरीक्षण के कारण" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 48 के अधीन या, यथास्थिति, धारा 51 के अधीन किसी अपील के परिणामस्वरूप" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**16. 2006 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 48 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 48 की उप-धारा (1) के परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "निर्धारित और अपील करने वाले व्यक्ति द्वारा संदेय कर के आधे से अन्यून के संदाय का समाधानप्रद सबूत उसके साथ न लगा हो।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अपील करने वाले व्यक्ति

ने निर्धारित और संदेय कर के पच्चीस प्रतिशत के संदाय का समाधानप्रद सबूत उसके साथ न लगाया हो।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**17. 2006 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 51 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 51 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"51. राजस्थान कर बोर्ड को अपील.- (1) धारा 48 या 50 के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील उस आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, पारित किये जाने की तारीख से साठ दिवस के भीतर-भीतर, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 88 के अधीन गठित राजस्थान कर बोर्ड को होगी।

(2) राजस्थान कर बोर्ड, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि उस कालावधि के भीतर-भीतर अपील न किये जाने का पर्याप्त कारण था।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील विहित रीति से प्रस्तुत और सत्यापित की जायेगी।

(4) राजस्थान कर बोर्ड पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, अपील पर ऐसा आदेश जारी कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।"

प्रकाश गुप्ता,  
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT  
(GROUP-II)**

**NOTIFICATION**

**Jaipur, May 16, 2012**

**No. F. 2 (34) Vidhi/2/2012.-**In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following

translation in the English language of the Rajasthan Vitt Adhiniyam, 2012 (2012 Ka Adhiniyam Sankhyank 18):-

**(Authorized English Translation)**  
**THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2012**  
**(Act No. 18 of 2012)**

[Received the assent of the Governor on the 15<sup>th</sup> day of May, 2012]

*An*

*Act*

*further to amend the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, the Rajasthan Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1990, the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999, the Rajasthan Stamp Act, 1998 and the Rajasthan Finance Act, 2006, in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2012-13 and to make certain other provisions.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:-

**CHAPTER I**  
**PRELIMINARY**

**1. Short title.-** This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2012.

**2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.-** In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clauses 13 and 14 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

**CHAPTER II**  
**AMENDMENTS IN THE RAJASTHAN VALUE ADDED**  
**TAX ACT, 2003**

**3. Amendment of section 22, Rajasthan Act No. 4 of 2003.-** For the existing section 22 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

**“22. Assessment on failure to deposit tax or submit return or audit report.-** (1) Where a dealer has failed to deposit tax in accordance with the provisions of section 20 within the notified period or has failed to submit a return in accordance with the provisions of section 21, or an audit report in accordance with the provisions of section 73, within the prescribed period, the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner shall, without prejudice to the penal provisions in this Act, after making such enquiry as it may consider necessary and after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, assess tax for that period to the best of his judgment.

(2) The tax assessed in sub-section (1), after adjustment of input tax credit and the amount deposited in advance in this behalf, if any, shall be payable by the dealer within thirty days from the date of service of the notice of demand. However, the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner, after recording reasons in writing, may reduce such period.

(3) The tax deposited under sub-section (2) shall be adjusted in the assessment for the relevant period.

(4) No order under this section shall be passed after the expiry of nine months from the end of the period for which the tax has not been deposited or, as the case may be, from the last date of submission of return or audit report which has not been submitted.”.

**4. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 4 of 2003.-** The existing sub-sections (4) and (4A) of section 24 of the principal Act shall be deleted.

**5. Amendment of section 38, Rajasthan Act No. 4 of 2003.-** For the existing sub-section (4) of section 38 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(4) Where a dealer or a person has filed an appeal to the Appellate Authority against an order passed by an assessing authority or any other officer, the said Appellate Authority may, after registering such appeal and after having heard the appellant and the assessing authority or officer or any representative thereof, stay the recovery of the disputed amount of tax or demand or any part thereof for a period of one year from the date of such order or till the disposal of the appeal, whichever is earlier, on the condition that the said dealer or the person furnishes sufficient security to the satisfaction of the assessing authority or the officer, as the case may be, in such form and in such manner as may be prescribed:

Provided that where an application for stay is not disposed of within a period of thirty days from its filing and the delay is not attributable to the applicant, the same shall be deemed to have been accepted subject to the condition that such dealer or person furnishes sufficient security to the satisfaction of the assessing authority or the officer, as the case may be, in such form and in such manner as may be prescribed:

Provided further that no security under this section shall be required to be furnished by a department of the Central Government or the State Government or a public sector undertaking, corporation or company owned or controlled by the Central Government or the State Government.”.

**6. Amendment of section 63, Rajasthan Act No. 4 of 2003.-** For the existing sub-section (2) of section 63 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(2) Any officer not below the rank of an Assistant Commercial Taxes Officer as may be authorized by the Commissioner shall be empowered to recover tax and impose penalty under sub-section (1).”.

**CHAPTER III**  
**AMENDMENTS IN THE RAJASTHAN TAX ON LUXURIES**  
**(IN HOTELS AND LODGING HOUSES) ACT, 1990**

**7. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 9 of 1996.**-The existing sub-section (2) of section 16 of the Rajasthan Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No. 9 of 1996), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, shall be deleted.

**8. Amendment of section 17, Rajasthan Act No. 9 of 1996.**- In section 17 of the principal Act,-

(i) for the existing sub-section (2), the following shall be substituted, namely:-

“(2) Every return furnished by a registered hotelier shall be subject to such scrutiny, as may be determined by the Commissioner, to verify its correctness and if the annual return for the year has been filed within the prescribed time and-

- (i) no error is detected, the hotelier shall be deemed to have been assessed for that year on the basis of such return;
- (ii) any error is detected, the Luxury Tax Officer shall serve a notice in the prescribed form on the hotelier to rectify the errors and file a revised return within such period as may be specified therein and if the hotelier furnishes a revised return in terms of the notice and deposits the tax, if any, he shall be deemed to have been assessed for that year on the basis of such revised return.”;

- (ii) the existing sub-section (3) shall be deleted;
- (iii) in sub-section (4), for the existing expression “sub-section (3)”, the expression “clause (ii) of sub-section (2)” shall be substituted;
- (iv) for the existing sub-section (5), the following shall be substituted, namely:-

“(5) Where all the returns are filed by a registered hotelier for any year, no order of assessment under sub-section (4) in respect of that year shall be made after the expiry of two years from the end of the said year or within one year from the commencement of the Rajasthan Finance Act, 2012 (Act No. ... of 2012), whichever is later, and if for any reason such order is not made within the period aforesaid, then the returns so filed shall be deemed to have been accepted as correct and complete and the assessment shall be deemed completed accordingly:

Provided that where a fresh assessment is to be made in view of any order made in appeal under this Act or by the High Court or Supreme Court such assessment shall be made within two years from the date of the receipt of such order by the Luxury Tax Officer:

Provided further that in computing any period of limitation laid down in this sub-section, the time during which the assessment remained stayed under the orders of any competent authority or of the High Court or of the Supreme Court shall be excluded:

Provided also that the Commissioner may, in the interest of the revenue and for reasons to be recorded in writing, issue directions not to proceed with the assessment of any particular hotelier or class of hotelier for any particular period and the period covered by such direction to stay the assessment



proceeding shall be excluded in computing the period of limitation laid down in this sub-section.”; and

- (v) for the existing sub-section (6), the following shall be substituted, namely:-

“(6) If a registered hotelier does not furnish return in respect of any period by the prescribed date, the Luxury Tax Officer shall, at any time within two years from the end of the year in which such period occurs or within one year from the commencement of the Rajasthan Finance Act, 2012 (Act No. ... of 2012), whichever is later, after giving the hotelier a reasonable opportunity of being heard, proceed to assess to the best of his judgment the amount of the tax, if any, due from him.”.

**CHAPTER-IV****AMENDMENTS IN THE RAJASTHAN TAX ON ENTRY  
OF GOODS INTO LOCAL AREAS ACT, 1999**

**9. Amendment of section 12, Rajasthan Act No. 13 of 1999.-** In section 12 of the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Act No. 13 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

- (i) for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-

“(3) Every return furnished by a registered dealer shall be subject to such scrutiny as may be determined by the Commissioner, to verify its correctness and if any error is detected, the assessing authority shall serve a notice in the prescribed form on the dealer to rectify the errors and file a revised return within such period as may be specified therein. Where in pursuance of the notice issued under this sub-section, the dealer furnishes the revised return in terms of the notice and deposits the tax, if any, he shall be deemed to have been assessed under sub-section (1) of section 14, on the basis of the revised return.

(3A) Where in pursuance of the notice issued under sub-section (3), the dealer does not file revised return or the return filed by the dealer is not in terms of the notice, the assessing authority shall assess the dealer to the best of his judgment on the basis of material available on record.”;

- (ii) for the existing sub-section (4), the following shall be substituted, namely:-

“(4) If no return is submitted by the dealer under sub-section (1) within the period prescribed or the dealer has failed to deposit tax in accordance with section 17 within the prescribed time, the assessing

authority shall assess the dealer to the best of his judgment:

Provided that before taking action under this sub-section, the dealer shall be given reasonable opportunity of being heard.”; and

- (iii) in sub-section (6), for the existing expression “three years from the date on which return for that year is submitted by a dealer”, the expression “two years from the end of the relevant year or within one year from the commencement of the Rajasthan Finance Act, 2012 (Act No. ... of 2012), whichever is later, however, the commissioner may for reasons to be recorded in writing extend in any particular case, such time limit by a period not exceeding six months” shall be substituted.

**10. Amendment of section 14, Rajasthan Act No. 13 of 1999.**-For the existing section 14 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“**14. Self Assessment.**- (1) Every registered dealer who has filed annual return for the year within the prescribed time shall, subject to the provisions of section 12, be deemed to have been assessed for that year on the basis of annual return filed.

(2) The list of the registered dealers assessed under sub-section (1) may be published through electronic or print media and such publication shall be deemed to be due intimation to such dealers wherever required.”.

**11. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 13 of 1999.**- The existing section 16 of the principal Act shall be deleted.

**12. Amendment of section 28, Rajasthan Act No. 13 of 1999.**- In sub-section (1) of section 28 of the principal Act, for the existing expression “five years from the date of any order passed by it”, the expression “four years from the date of any order passed by it or within one year from the commencement of the Rajasthan

Finance Act, 2012 (Act No. ... of 2012), whichever is later.” shall be substituted.

## CHAPTER V

### AMENDMENTS IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

**13. Amendment of section 2, the Rajasthan Act No. 14 of 1999.-** For the existing sub-clause (iv) of clause (xi) of section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(iv) every order made under section 394 of the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956) and section 44-A of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No. 10 of 1949);”.

**14. Amendment of the Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.-** In the Schedule of the principal Act,-

(i) for the existing Article 5, the following shall be substituted, namely:-

#### “5. Agreement or memorandum of an agreement-

- (a) if relating to the sale of a bill of exchange; Ten rupees.
- (b) if relating to the sale of Government security or share in an incorporated company or other body corporate; Subject to a maximum of two hundred rupees, ten rupees for every Rs. 10,000/- or part thereof, of the value of the security or share.
- (c) if relating to purchase or sale of an immovable property, when possession is neither given nor agreed to be given; Three per cent of the total consideration of the property as set forth in the agreement or memorandum of an agreement:

Provided that the

stamp duty paid on such agreement shall at the time of execution of a conveyance in pursuance of such agreement subsequently be adjusted towards the total amount of duty chargeable on the conveyance if such conveyance deed is executed within three years from the date of agreement.

- (d) if relating to secure the repayment of a loan or debt made by a bank or Finance Company; 0.1% of the amount of loan or debt.
- (e) if relating to giving authority or power to a promoter or a developer, by whatever name called, for construction on, or development of, or sale or transfer (in any manner whatsoever) of, any immovable property; The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of the property:

Provided that the provisions of section 51 shall, *mutatis mutandis*, apply to such agreement or memorandum of an agreement as they apply to an instrument under that section:

Provided further that if the proper stamp

duty is paid under clause (eee) of Article 44 on a power of attorney executed between the same parties in respect of the same property then, the stamp duty under this Article shall be one hundred rupees.

- (f) if relating to project under Built, Operate and Transfer (BOT) system, whether with or without toll or fee collection rights; 0.2 per cent on the amount agreed in the contract subject to minimum of one hundred rupees.

- (g) if not otherwise provide for; One hundred rupees.

**Exemption:** Agreement or memorandum of agreement-

- (a) for or relating to the sale of goods or merchandise exclusively, not being a Note or Memorandum chargeable under No. 40;
- (b) made in the form of tenders to the Government for or relating to any loan.”;
- (ii) in clause (iii) of Article 21, for the existing expression “if relating to the order under section 394 of the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956)”, the expression “if relating to the order under section 394 of the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956) or section 44-A of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No.10 of 1949)” shall be substituted;

- (iii) in Explanation (ii) of Article 21, for the existing expression “paid for such amalgamation”, the expression “paid for such amalgamation or reconstruction, as the case may be” shall be substituted;
- (iv) for the existing Article 43, the following shall be substituted, namely:-

**“43. Partnership-**

(1) Instrument of partnership,-

- |                                                                                                                                                  |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| (a) where there is no share contribution in partnership or where such share contribution brought in by way of cash does not exceed Rs. 50,000/-; | Five hundred rupees.                                                          |
| (b) where such share contribution brought in by way of cash is in excess of Rs. 50,000/-, for every Rs.50,000/- or part thereof;                 | Five hundred rupees, subject to maximum duty of rupees five thousand.         |
| (c) where such share contribution is brought in by way of immovable property.                                                                    | The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property. |

(2) Dissolution of partnership or retirement of partner,-

- |                                                                                          |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (a) where on a dissolution of the partnership or on retirement of a partner any property | The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of such property, subject |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

is taken as his share by a partner other than a partner who brought in that property as his share of contribution in the partnership;

(b) in any other case. Five hundred rupees.”;

(v) after the existing clause (ee) and before the existing clause (f) of Article 44, the following shall be inserted, namely:-

“(eee) when given to promoter or developer by whatever name called, for construction on, or development of, or sale or transfer (in any manner whatsoever) of, any immovable property.

The same duty as on Conveyance (No. 21) on the market value of the property:

Provided that the provisions of section 51 shall, *mutatis mutandis*, apply to such an instrument of power of attorney as they apply to a conveyance under that section:

Provided further that when proper stamp duty is paid under clause (e) of Article 5 on an agreement or memorandum of an agreement executed between the same parties and in respect of the same property, the duty chargeable under



this clause shall be rupees one hundred.”;

(vi) for the existing Article 51, the following shall be substituted, namely:-

**“51. Settlement-**

(A) Instrument of, including a deed of dower,-

(i) where the settlement is made for a religious or charitable purpose;

The same duty as on Bond (No. 14) for a sum equal to the amount settled or the market value of the property settled.

(ii) in any other case,-

(i) in respect of immovable property, the same duty as on Conveyance (No. 21(i)) for a sum equal to the market value of the immovable property settled; and

(ii) in respect of other property or amount, the same duty as on Bond (No. 14) for a sum equal to the amount settled or the market value of the property settled:

Provided that where an agreement to settle is stamped with the

stamp required, for an instrument of settlement and an instrument of settlement in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such instrument shall not exceed One hundred rupees:

Provided further that where an instrument of settlement contains any provision for the revocation of the settlement, the amount or the value of the property settled shall, for the purposes of duty, be determined, as if no such provisions were contained in the instrument.

**Exemption:** Deed of dower executed on the occasion of or in connection with, marriage between Mohammedans, executed before or after the marriage.

(B) Revocation of,-

- (i) in respect of settlement described in sub-clause (i) of clause (A);
- The same duty as on Bond (No. 14) for a sum equal to the amount

settled or the market value of the property concerned as set forth in the instrument of revocation, but not exceeding fifty rupees.

(ii) in respect of settlement described in sub-clause (ii) of clause (A).

(i) in respect of immovable property, the same duty as on Conveyance (No. 21(i)) for a consideration equal to the market value of the immovable property concerned, and

(ii) in respect of other property or amount, the same duty as on Bond (No. 14) for a consideration equal to the amount settled in the instrument of revocation or the market value of the property concerned, but not exceeding five thousand rupees.”; and

(vii) for the existing Article 56, the following shall be substituted, namely:-

**“56. Trust-**

(A) Declaration of- of, or concerning, any property when made by any writing not being a Will,-

(a) where there is disposition of property,-

(i) where the Trust is made for a religious or charitable purpose;

(ii) in any other case.

The same duty as on Bond (No. 14) for a sum equal to the amount settled or the market value of the property settled.

(i) in respect of immovable property, the same duty as on Conveyance (No. 21(i)) for a sum equal to the market value of the immovable property settled; and

(ii) in respect of other property or amount, the same duty as on Bond (No. 14) for a sum equal to the amount settled or the market value of the property settled.

(b) Where there is no disposition of property.

The same duty as on Bond (No. 14) for a sum equal to the amount or value of the property concerned but not exceeding sixty rupees.

(B) Revocation of- of, or concerning, any property when made

The same duty as on Bond (No. 14) for a sum equal to the amount or value of the

by any instrument property concerned but not  
other than a Will. exceeding fifty rupees.”.

**CHAPTER VI**  
**AMENDMENTS IN THE RAJASTHAN FINANCE ACT,**  
**2006**

**15. Amendment of section 42, Rajasthan Act No. 4 of 2006.-** In section 42 of the Rajasthan Finance Act, 2006 (Act No. 4 of 2006), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

- (i) in sub-section (3), for the existing expression "any appeal under section 48, for any revision under section 51", the expression "any appeal under section 48 or section 51" shall be substituted; and
- (ii) in sub-section (4), for the existing expression "any appeal under section 48, or of any revision under section 51", the expression "any appeal under section 48 or section 51" shall be substituted.

**16. Amendment of section 48, Rajasthan Act No. 4 of 2006.-** In proviso to sub-section (1) of section 48 of the principal Act, for the existing expression "payment of not less than one half of the tax assessed", the expression "payment of twenty five per cent of the tax assessed" shall be substituted.

**17. Amendment of section 51, Rajasthan Act No. 4 of 2006.-** For the existing section 51 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

**“51. Appeal to Rajasthan Tax Board.-** (1) An appeal shall lie to the Rajasthan Tax Board constituted under section 88 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) against an order passed under section 48 or 50 within a period of sixty days from the date of the order sought to be appealed against.

(2) The Rajasthan Tax Board may admit an appeal after the expiry of the period referred to in sub-section (1),

if it is satisfied that there was sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

(3) Every appeal under this section shall be presented and verified in the manner prescribed.

(4) The Rajasthan Tax Board may, after affording an opportunity of being heard to the parties, pass such order on the appeal as it thinks fit.”

प्रकाश गुप्ता,

**Principal Secretary to the Government.**